

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

एफ.6 (29) परीक्षा 'क' /राज्य – अधी/2012–13/3260

दिनांक : 29.10.2015

प्रेस-नोट

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी प्रारम्भिक परीक्षा, 2013 में केटेगरी या अन्य संशोधन हेतु जिन अभ्यर्थियों ने आयोग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ऐसे अभ्यर्थियों में से जिनका संशोधन किया जा चुका है उनको एसएमएस के माध्यम से सूचित किया गया है जिन अभ्यर्थियों को एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ है, वे अभ्यर्थी जारी किये गये प्रवेश पत्र के आधार पर ही परीक्षा में प्रविष्ट हों। ऐसे अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र पर पात्रता एवं आयोग के नीतिगत निर्णय के आधार पर संशोधन हेतु विचार किया जावेगा एवं परीक्षा उपरान्त की गई कार्यवाही से एसएमएस/पत्र के माध्यम से सूचित किया जावेगा।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव